न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक ~~20/अ-6-2014-2015~~ / निगरानी सन् 2016

1. गौरव चौरसिया तनय महेन्द्र चौरसिया, आयु– 27 वर्ष,
2. लोकेश चौरसिया, तनय महेन्द्र चौरसिया, आयु– 23 वर्ष, निवासीगण–वार्ड नं. 10, गांव की देवरी के मंदिर के पीछे, हटवारा तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर म0प्र0

.........आवेदकगण

बनाम

1. उमाशंकर चौरसिया तनय बद्रीप्रसाद चौरसिया, आयु– 43 वर्ष,निवासी–भटीपुरा वार्ड नं. 3 गढ़ी मलेहरा, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर म0प्र0

.............अनावेदक

2. चन्द्रशेखर चौरसिया उर्फ हरीशचन्द्र चौरसिया तनय स्व. श्री रामचरण चौरसिया, आयु–48 वर्ष, निवासी–वार्ड नं. 6 गढ़ी मलेहरा, तहसील महाराजपुर, जिला छतरपुर म0प्र0

.............निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 30/12/2015 पारित द्वारा तहसीलदार महाराजपुर प्र.क. 29/अ–6 2014–2015 लोकेश व गौरव बनाम उमाशंकर चौरसिया अन्तर्गत धारा 109 व 110 म.प्र.भू.रा.संहिता जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण कमांक 02 के विरूद्ध आदेश किया गया कि वे ग्राम गढी मलहेरा की भूमि खसरा कमांक 382/1 का अंश भाग 485 आरे की नामांतरण के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है:–

श्रीमान् जी,

यहकि, निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता निम्नलिखित सादर विनय करता है:–

1– यहकि, निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पेश की थी कि आवेदकगण के विरूद्ध नामान्तरण आवेदन तहसीलदार महराजपुर के न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हेतु पेश किया गया था।

न्यायालय राजस्व सर्किल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-206-दो/2016 जिला छतरपुर

चंद्रशेखर (आपत्तिकर्ता/निगरानीकर्ता) विरूद्ध गौरव व लोकेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-10-2018 04.10.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. प्रकरण में दिनांक 19-09-2018 को आपत्तिकर्ता/निगरानीकर्ता श्री चंद्रशेखर चौरसिया के अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया व अधीनस्थ तहसीलदार महाराजपुर जिला छतरपुर के न्यायालय में आवेदक/अनावेदक गौरव चौरसिया, लोकेश चौरसिया व उमाशंकर चौरसिया के अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी को अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय महारापुर के नामातंरण प्रकरण क्रमांक 29/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-12-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी आवेदन पर सुना गया। 3. तहसीलदार के आदेश दिनांक 31-12-2015 की आदेश पंजिका निम्नानुसार है । "आवेदक अधिवक्ता उपस्थित । आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित । आपत्तिकर्ता द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । अंतिम अवसर दिया गया था । अतः साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है । आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदन पत्र धारा 33, 35 पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 01-07-2003 20/8/11 कर पंजीकरण की अनुमति आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया है । एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति दी गई है । दोनों पक्षों को सुनने एवं आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि इकरारनामा के पंजीकरण की आज्ञा इस न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती है । आपत्तिकर्ता सक्षम न्यायालय में पृथक से	

कार्यवाही करे । प्रकरण प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है ।

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु पेश हो ।"

4. आपत्तिकर्ता चंद्रशेखर के अभिभाषक के द्वारा दिनांक 19-09-2018 को आवेदन प्रस्तुत कर प्रचलित निगरानी प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरण क्रमांक 1394/2017 में निर्णय होने तक स्थगित रखने हेतु अनुरोध किया है । आपत्तिकर्ता के द्वारा अवमानना प्रकरण के संबंध में अवमानना याचिका की प्रतिलिपि व अन्यथा आदेश की प्रतिलिपि आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं की है ।

आपत्तिकर्ता के द्वारा दिनांक 19-09-2018 के आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर के द्वारा व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी छतरपुर के Civil Suit A-1-2015 में पारित आदेश दिनांक 25-01-2016 के विरूद्ध दिये निर्णय दिनांक 01-02-2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा व्यवहार न्यायालय का आदेश दिनांक 25-01-2016 को निरस्त (Set Aside) किया है । आदेश का Operating Para निम्नानुसार है ।

"In my considered opinion, the trail Court has totally misunderstood the provisions of Section 33 and 35 of the Indian Stamp Act and without application of mind rejected the same on the grounds which cannot be sustained to decide such application. Accordingly, the order impugned passed by the trail court stands set aside. However, it is directed that the application filed by the plaintiff/petitioner be decided looking to the scope of Section 33 and 35 of the Indian Stamp Act."

5. इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में पूर्व में अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय की कार्यवाही पर स्थगन जारी नहीं किया है । तहसील न्यायालय में आवेदकगण गौरव व लोकेश तनय

महेन्द्र चौरसिया के नामातंरण आवेदन पर दिनांक 15-02-2016 तक कार्यवाही प्रचलित रही है । सिविल न्यायालय में व्यवहारवाद क्रमांक 01A/2015 में विक्रयनामा दिनांक 15-10-2014 एवं 29-04-2015 (जिसके आधार पर खसरा क्रमांक 382/1/1 के रकबा 0.890 हे. में से 0.485 हे. भूमि का नामातंरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है) के प्रभावहीन घोषणा हेतु आपत्तिकर्ता/निगरानीकर्ता चंद्रशेखर के द्वारा वाद दायर किया गया है, जिस पर अंतिम निर्णय की जानकारी उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है ।

6. अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यायोजित (Remand) किया जाता है कि उभय पक्षों से वाद क्रमांक 01A/2015 के अंतिम निर्णय व माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित अवमानना याचिका की प्रति/निर्णय की जानकारी लेकर अपने प्रकरण क्रमांक 29/2014-15 में आगामी कार्यवाही हेतु निर्णय लें ।

7. उभय पक्ष 05/11/2018 को अधीनस्थ नायब तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित हों । उक्त दिनांक से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण मय सभी अभिलेखों के भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे ।

8. प्रकरण के पक्षकारों को उक्त आदेश नोट कराया जाये ।

04.10.18

(आर.के. जैन)
सदस्य